

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक: 30.06.2009

संख्या 2/टी-26/2009 842(2) /स्वा0 बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के निम्नांकित चिकित्सा पदाधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित जिला में पदस्थापित किया जाता है ।

क्रम संख्या	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन का जिला	नवपदस्थापित जिला
1	डा० कृष्ण मुरारी	मुंगेर	पटना
2	डा० भारती कुमारी	जहानाबाद	पटना
3	डा० राजेन्द्र चौधरी	मधुबनी	पटना
4	डा० मीना कुमारी	औरंगाबाद	पटना
5	डा० राजकिशोर सिंह	भागलपुर	पटना
6	डा० जर्नादन प्रसाद	लखीसराय	पटना
7	डा० अनिल कुमार तिवारी	भोजपुर	पटना
8	डा० पूनम सिन्हा	वैशाली	पटना
9	डा० प्रेमलता गौर्य	मुजफ्फरपुर	पटना
10	डा० आभा कुमारी	गया	पटना
11	डा० रविनन्दन	रोहतास	पटना
12	डा० मिथिलेश कुमार सिंह	जमुई	पटना
13	डा० मदन	जमुई	पटना
14	डा० मनोज कुमार सिन्हा	नालन्दा	पटना
15	डा० विशम्भर दयाल सिन्हा	नवादा	पटना
16	डा० रवीन्द्र प्रसाद सिंह	सारण	पटना
17	डा० अलख प्रसाद	सुपौल	पटना
18	डा० विभा कुमारी सिंह	जमुई	पटना
19	डा० कमल किशोर राय	खगड़िया	पटना
20	डा० मंजू सहाय	बक्सर	पटना
21	डा० नृपेन्द्र प्रसाद	नालन्दा	पटना
22	डा० अर्जुन प्रसाद साहु		पटना
23	डा० प्रशान्त कुमार	दरभंगा	पटना
24	डा० सुरेश प्रसाद	सीतामढ़ी	पटना

- सम्बन्धित सिविल सर्जन/नियंत्री पदाधिकारी 15 दिनों के भीतर स्थानान्तरित चिकित्सा पदाधिकारियों को पदस्थापित स्थान के लिए निश्चित रूप से विरमित कर देंगे और नवपदस्थापित जिले के सिविल सर्जन, विरमित होकर योगदान देने वाले चिकित्सा पदाधिकारियों का पदस्थापन जिले के अन्तर्गत रिक्त पद के विरुद्ध 15 दिनों के भीतर निश्चित रूप से कर देंगे ।
- अधिसूचित चिकित्सा पदाधिकारी जुलाई माह का वेतन नव पदस्थापित स्थान से प्राप्त करेंगे ।
- निलम्बन/न्यायालय के अन्यथा आदेश की स्थिति में यह आदेश उनपर लागू नहीं होगा ।
- इस अधिसूचना में अंकित किसी भी चिकित्सा पदाधिकारी के पदस्थापन के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना अवकमित समझी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(डा० प्रमोद कुमार)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापक 2/टी-26/2009 842(2) /स्वा0,दिनांक 30.06.09


प्रतिलिपि : अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय गुलजारबाग पटना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, /अवर सचिव वित्त, (वै0दा0नि0 को0) विभाग,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : संबंधित कोषागार पदाधिकारी /सम्बन्धित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : सम्बन्धित प्रमण्डलीय आयुक्त /सम्बन्धित जिला पदाधिकारी /सम्बन्धित क्षेत्रीय उप निदेशक,स्वास्थ्य सेवाएँ /सम्बन्धित असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी /उप महानिरीक्षक अभियोजन बिहार,पटना /सम्बन्धित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री /माननीय राज्य मंत्री के आप्त सचिव /प्रधान सचिव के सचिव स्वास्थ्य /निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ /उप सचिव स्वास्थ्य /प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,7,9, एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित ।


सरकार के उप सचिव